न्यायालय, आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक 2619 /विधि सहरसा, दिनांक 08/09/2023

प्रतिलिपि :- समाहर्त्ता, मधेपुरा को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा आपूर्ति पुन0 वाद सं0- 25/2022 में दिनांक-05.09.2023 को पारित आदेश की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज, जिला-मधेपुरा को उक्त आदेश की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा को उक्त आदेश की प्रति के साथ उनके पत्रांक 246/सप्त्र, दिनांक 13.06.2022 से प्राप्त निम्न न्यायालय संचिका कुल-58 पन्ना मूल में संलग्न कर वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :-यथोपरि।

प्रतिलिपि:- श्री अमोद कुमार सिंह, पिता-स्व0 हरदेव प्रसाद सिंह, सा0-तिलकपुर, पंचायत-सिंहार, प्रखंड-आलमनगर, जिला-मधेपुरा / मो0 नसीर आलम, पिता-मुकुमद्दीन, सा0-मधेली दीया, पंचायत-सिंहार, प्रखंड-आलमनगर, जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई0टी0 असिस्टेंट, कोशी प्रमंडल, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय वेबसाईट पर अपलोड कर वापस करने हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी (विधि)
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

अनुसूची १४-फारम सं०-४६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता०..से..तक

जिला.., सं०.., सन् १९........................

केस का प्रकार:..

आदेश की क्रम संख्या तिथि तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित ३

25/09/2023

न्यायालय, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

आपूर्ति पुनरीक्षण वाद संख्याः-25/2022

अमोद कुमार सिंह.........................पुनरीक्षणकर्त्ता

-बनाम-

राज्य एवं अन्य......................रेसपॉण्डेन्ट

-:: आदेश ::-

प्रस्तुत आपूर्ति पुनरीक्षणवाद अमोद कुमार सिंह, पिता-हरदेव प्रसाद सिंह, साकिन-तिलकपुर, पंचायत-सिंहार, प्रखंड-आलमनगर, जिला-मधेपुरा के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में उनके द्वारा दायर CWJC NO- 9123/2020 में दिनांक-01.02.2022 को पारित आदेश के आलोक में जिला चयन समिति, मधेपुरा के द्वारा उदाकिशुनगंज अनुमंडलान्तर्गत आलमनगर प्रखंड के ग्राम पंचायत-सिंहार के ग्राम-तिलकपुर के अनारक्षित कोटि के जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति हेतु किये गये चयन के विरूद्ध दायर किया गया है, जिसमें चयनित अभ्यर्थी मो0 नसीर आलम, पिता- मुकुमद्दीन, ग्राम-मधेली दीया, प्रखंड-आलमनगर, जिला-मधेपुरा को विपक्षी सं0-04 बनाया गया है।

पुनरीक्षणकर्त्ता का मूल रूप से कहना है कि वे ग्राम-तिलकपुर, पंचायत- सिंहार, प्रखंड-आलमनगर, अनुमंडल-उदाकिशुनगंज, जिला मधेपुरा के स्थाई निवासी है तथा समाहरणालय, मधेपुरा के आपूर्ति शाखा द्वारा दिनांक-05.08.2017 को प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में उनके द्वारा उदाकिशुनगंज अनुमंडल के अंतर्गत आलमनगर, प्रखंड के ग्राम-तिलकपुर, पंचायत-सिंहार के अनारक्षित कोटि के जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति हेतु अपना आवेदन सभी आवश्यक कागजातों के साथ ससमय अनुमण्डल

कार्यालय, उदाकिशुनगंज में जमा किया गया। पंचायत-सिंहार के सार्वजनिक वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति हेतु 2 रिक्ति प्रकाशित की गई थी, जिसमें 1 (एक) अनारक्षित कोटि के लिए तथा 1 (एक) पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित था। उनके द्वारा अनारक्षित रिक्ति हेतु अपना आवेदन दाखिल किया था, जबकि विपक्षी सं0-04 मो0 नसीर आलम के द्वारा पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रिक्ति के विरूद्ध अपना आवेदन दाखिल किया गया। कुल 15 (पन्द्रह) आवेदनों के आधार पर मेधा सूची का प्रकाशन किया गया, जिसमें पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद के लिए मो0 नसीर आलम, पिता-मोकिनउद्दीन का भी आवेदन था। अनारक्षित वर्ग के रिक्ति के विरूद्ध आवेदन करने वालों में पुनरीक्षणकर्त्ता की योग्यता-स्नातकोत्तर तथा अंक प्रतिशत 68.13 के साथ ही वे सबसे अधिक उम्र के आवेदक थे। इस प्रकार अनारक्षित पद के लिए सबसे योग्य अभ्यर्थी के रूप में केवल पुनरीक्षणकर्त्ता का आवेदन था, परन्तु पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद पर आवेदन करने वाले विपक्षी सं0-04 मो0 नसीर आलम को अनारक्षित रिक्ति के विरूद्ध चयनित कर दिया गया। पुनरीक्षणकर्त्ता के द्वारा वादपत्र के माध्यम से बताया गया है कि उनकी शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर है तथा उनके द्वारा कम्प्यूटर सक्षमता का प्रमाण-पत्र भी संलग्न किया गया है। साथ ही उनकी जन्म तिथि 03.01.1967 है, जिस कारण वे सभी आवेदकों में सबसे अधिक उम्र के हैं। इस प्रकार बिहार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी सर्वाधिक योग्य अभ्यर्थी हैं, किन्तु जिला चयन समिति के द्वारा चयन हेतु उक्त शर्तो का बगैर अवलोकन किये विपक्षी सं0-04 का चयन कर दिया गया, जो सरासर नजायज और गैर-कानूनी है। उक्त के आलोक में पुनरीक्षणकर्त्ता के द्वारा विपक्षी सं0-04 के चयन को रद्द करते हुए पंचायत-सिंहार के अनारक्षित वर्ग हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति हेतु विज्ञापित रिक्ति के विरूद्ध उनका चयन करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी सं0- 04 की ओर से दाखिल प्रत्युत्तर तथा बहस में भाग लेते हुए उनके विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि जन वितरण प्रणाली डीलर अनुज्ञाप्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में उदाकिशुनगंज अनुमण्डलान्तर्गत आलमनगर प्रखंड के सिंहार पंचायत के दो रिक्त स्थानों

(01-पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित तथा 01-अनारक्षित) के लिए पुनरीक्षणकर्त्ता के साथ-साथ विपक्षी सं0-04 एवं अन्य के द्वारा आवेदन किया गया। उक्त रिक्ति के लिए सभी 15 आवेदकों की प्रकाशित मेधा सूची में विपक्षी संख्या-04 के शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर में सर्वाधिक 84% अंक तथा कम्प्यूटर प्रमाण-पत्र के आधार पर क्रमांक-01 पर रखा गया तथा पुनरीक्षणकर्त्ता का नाम क्रमांक-02 पर प्रकाशित था। क्योंकि उन्हें कम्प्यूटर ज्ञान के साथ, 68% अंक था। उक्त के आधार पर जिला चयन समिति के द्वारा अनारक्षित रिक्ति हेतु उनका चयन किया गया। विपक्षी सं0-04 का कहना है कि अनारक्षित वर्ग के जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति के चयन हेतु सभी कोटि के आवेदकों की सम्मिलित मेधा सूची तैयार कर प्रकाशित की गई, जिसमें सर्वोच्च योग्यताधारी/अंकधारी होने के आधार पर उनका चयन किया गया। अतः जिला समिति का निर्णय पारदर्शी तथा विधिसम्मत है। तदनुसार उन्हें अनुज्ञप्ति सं0-104/2018 दिनांक 22.10.2018 प्रदान की गई, जिसके आधार पर वे लगभग 4 वर्षों से जन वितरण प्रणाली दुकान का संचालन कर रहे हैं। तदालोक विपक्षी संख्या-04 के द्वारा इस पुनरीक्षणवाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष को सुनने के उपरान्त उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख पर रक्षित कागजातों तथा निम्न न्यायालय अभिलेख के रूप में प्राप्त साक्ष्य/कागजातों के परिशीलनोंपरान्त यह परिलक्षित होता है कि पुनरीक्षणकर्त्ता तथा विपक्षी संख्या-04 दोनों ही स्नातकोत्तर एवं कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले हैं तथा पुनरीक्षणकर्त्ता की उम्र चयनित अभ्यर्थी विपक्षी सं0-04 से अधिक है। बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका-9 (V) में स्पष्ट वर्णित है कि "उचित मूल्य की दुकान की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदक मैट्रिक पास और वयस्क होगा, परन्तु कम्प्यूटर ज्ञान रखने वाले को प्राथमिकता दी जायेगी। कम्प्यूटर ज्ञान की समानता होने पर अधिक योग्य को और उसमें भी समानता होने पर अधिक उम्र वाले को प्राथमिकता दी जायेगी।" उक्त के आलोक में जिला चयन समिति के द्वारा ग्राम पंचायत-सिंहार के जन वितरण प्रणाली विक्रेता अनुज्ञप्ति हेतु अनारक्षित रिक्ति के विरूद्ध मो0 नसीर आलम का चयन उच्चतर प्राप्तांक के आधार पर किया

गया है। प्राप्तांक के आधार पर चयन का कोई प्रावधान नियमावली में नहीं किया गया है। जिला चयन समिति, मधेपुरा के द्वारा नियमावली की गलत व्याख्या के आधार पर किये गये मो0 नसीर आलम के चयन को नियम विरुद्ध पाते हुए अपास्त किया जाता है तथा बिहार लक्षियत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 की कंडिका-9 (V) के आलोक में सर्वाधिक उम्र का होने के आधार पर अमोद कुमार सिंह के चयन हेतु आदेश दिया जाता है। अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशनुगंज को निदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर मो0 नसीर आलम के नाम से निर्गत अनुज्ञप्ति को रद्द करना सुनिश्चित करें। समाहर्त्ता, मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के एक पक्ष के अन्दर उक्त अनारक्षित रिक्त जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति हेतु अमोद कुमार सिंह के चयन हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई हेतु समाहर्त्ता, मधेपुरा तथा अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशनुगंज को भेजें। इसी विवेचन के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इसकी सूचना सभी संबंधितों को देते हुए निम्न न्यायालय से प्राप्त संचिका संबंधित कार्यालय को वापस करें।

5/9/23

प्रमंडलीय आयुक्त

कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं संशोधित।

5/9/23

प्रमंडलीय आयुक्त

कोशी प्रमंडल, सहरसा।